

न्यायालय अंचल अधिकारी, कोडरमा

24.11.2022

भूमि सत्यापन अभिलेख सं०.....3202/2022

आवेदिका 1 विमला देवी पति स्व० दुकलाल महतो, 2 शिव शंकर महतो 3 सिताराम प्रसाद दोनो के पिता स्व० जगदीश महतो 4 मुरली प्रसाद 5 सरयु महतो पिता स्व० देवकी महतो 6 किरण देवी पति स्व० किशोर महतो 7 भीम महतो 8 महादेव वर्मा 9 जीवलाल वर्मा 10 सहदेव महतो सभी के पिता स्व० कामेश्वर महतो 11 अंजू देवी पति हुलास महतो 12 अजय महतो पिता धनश्याम महतो 13 सुयाम देवी पति विजय महतो साकिन-बरवाडीह, पोस्ट-झुमरी तिलैया, थाना-तिलैया, जिला-कोडरमा द्वारा निम्न भूमि का सत्यापन हेतु आवेदन दिया गया है:-

मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा	किस्म
बरवाडीह	251	79	958 1123	29 डी० 07 डी०	बकास्त

अतः मूल आवेदन पत्र हल्का राजस्व उप निरीक्षक को हस्तगत कराए एवं जाँच अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ ही आम इस्तहार निर्गत करें। प्रतिवेदन

अभिलेख दिनांक 01/12/2022 को प्रस्तुत करें।


 अंचल अधिकारी,
 कोडरमा

01.12.2022


09.12.2022

अभिलेख उपस्थापित।

आम इस्तहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है।

हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा बरवाडीह, थाना नं०-251, खाता सं०-79, प्लॉट सं०-1123 वर्ग 0 रकवा-1 एकड़ 10.5 डी० प्लॉट सं०-958, रकवा-29 डी० कुल रकवा-1 एकड़ 39.5 डी० भूमि रघु कोयरी पिता जयराम कोयरी के नाम से पंजी-II के पृष्ठ सं०-533 भाग सं०-01 पर ऑनलाइन जमाबन्दी दर्ज है। उक्त भूमि सादा हुकुमनामा द्वारा प्राप्त है। उक्त भूमि बकास्त खाते की है। लगान रसीद वर्ष-2021-22 तक निर्गत है। शपथ पत्र सं०-03 दिनांक-22.06.2022 (नोटिस पब्लिक, कोडरमा) की मूल प्रति संलग्न किया गया मौजा-बरवाडीह, थाना नं०-251, खाता सं०-79, प्लॉट सं०-958, रकवा- रकवा-29 डी० प्लॉट सं०-1123, कुल रकवा-07 डी० भूमि निबंधन हेतु स्वीकृति दी जा सकती है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर प्रतिवेदित किया जाता है कि मौजा-बरवाडीह, थाना नं०-251, खाता सं०-79, प्लॉट सं०-958, रकवा- रकवा-29 डी० प्लॉट सं०-1123, कुल रकवा-07 डी० भूमि निबंधन योग्य है। यद्यपि निबंधन के उपरान्त भी Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Acts 1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामांतरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय का सुरक्षित रखेगा एवं नामान्तरण के पूर्व अगर कोई वैध आपत्ति होती है तो विधि सम्मत निर्णय लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।


 अंचल अधिकारी,
 कोडरमा

विमला देवी

(6)